

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 19 मार्च, 2015

**संकल्प**

**संख्या ई-11013/6/2013-हिंदी:** राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 15.3.1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20015/6/92-रा.भा.(क-2), दिनांक 10.06.1992 में निहित निदेशों के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य:

**संसद सदस्य (लोक सभा)**

- |     |                             |       |
|-----|-----------------------------|-------|
| (1) | श्री शरद त्रिपाठी           | सदस्य |
| (2) | श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश | सदस्य |

**संसद सदस्य (राज्य सभा)**

- |     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| (3) | श्री अविनाश राय खन्ना | सदस्य |
| (4) | श्री प्रभात झा        | सदस्य |

**संसद सदस्य (संसदीय राजभाषा समिति)**

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| (5) | श्री जयप्रकाश नारायण यादव<br>06, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-11. | सदस्य |
| (6) | श्री संतोष कुमार<br>307, विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली-1.   | सदस्य |

**केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एकसवाई-68, सरोजिनी नगर,**

**नई दिल्ली का प्रतिनिधि**

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| (7) | श्री चन्द्र प्रकाश मेहता<br>जी-18/4-ए, भूतल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27. | सदस्य |
|-----|---|-------|

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र (दिल्ली नगर निगम),  
10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 का प्रतिनिधि

- (8) श्री माधवन कुट्टी नायर सदस्य  
वजूथाकाड, तिरुवनंतपुरम-695014 .

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

- (9) डॉ. बीना सिंह सदस्य  
बी-43, डिफेंस कॉलोनी,  
मवाना रोड, मेरठ-250001.
- (10) मेजर जनरल एन.बी. सिंह सदस्य  
11/58, सैक्टर-11,  
वृंदावन योजना भाग-2  
राय बरेली रोड, लखनऊ-226002.
- (11) श्री राजेश चेतन सदस्य  
126, मॉडर्न अपार्टमेंट,  
सैक्टर-15, रोहिणी,  
नई दिल्ली-110089.
- (12) श्री मयंक गोयल सदस्य  
बी-18, अशोक नगर, गाजियाबाद  
(उत्तर प्रदेश)

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

- (13) श्री टी.एस.के. कन्नन, सदस्य  
म. नं.9, सिथम्मा कॉलोनी, प्रथम मेन रोड,  
अलवरपेट, चैन्ने-600018.
- (14) श्री मंगत राम धस्माना, सदस्य  
फ्लैट नं.4379, सैक्टर-बी-5/6,  
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070.
- (15) श्रीमती राजकुमारी देव, सदस्य  
म.नं. 270, नर्मदा अपार्टमेंट,  
अलकनंदा, नई दिल्ली-110019.

**सरकारी सदस्य, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)**

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| (16) सचिव         | सदस्य |
| (17) संयुक्त सचिव | सदस्य |

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

- |   |            |
|---|------------|
| (18) सचिव   | सदस्य      |
| (19) महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रा.प्र.सर्वे. कार्यालय) | सदस्य      |
| (20) महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)                       | सदस्य      |
| (21) अपर सचिव   | सदस्य      |
| (22) संयुक्त सचिव (प्रशासन)   | सदस्य सचिव |
| (23) निदेशक (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता)                    | सदस्य      |
| (24) अपर महानिदेशक (सी.ए.पी.)                                       | सदस्य      |
| (25) अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)                                      | सदस्य      |
| (26) उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रकाशन)                              | सदस्य      |
| (27) उप महानिदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)                           | सदस्य      |
| (28) उप महानिदेशक (संगणक केंद्र)                                    | सदस्य      |

**कार्यक्षेत्र**

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

**कार्यकाल**

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्यक्षीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा:-

1. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
3. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
4. समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

**मुख्यालय**

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।


## यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा ।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

  
(अरुण कुमार यादव)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन: 011-23746725

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा) ।

अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित हो उसकी एक प्रति निदेशक (राजभाषा), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए ।

संख्या ई-11013/6/2013-हिंदी

दिनांक: 19 मार्च, 2015

प्रति प्रेषित:-

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

8. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संसदीय कार्य मंत्रालय, 86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली--को उनके का.जा. सं.2-35(2)/2002-समिति दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 के संदर्भ में ।
10. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली--को उनके का.जा. सं.25011/3/2009-समिति-5 दिनांक 17.07.2013 के संदर्भ में ।
11. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-1। भवन, बी-विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को उनके का.जा.सं.11/20015/21/2010-रा.भा.(नीति-2) दिनांक 3 मार्च,2014 के संदर्भ में ।
12. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
14. महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
15. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
16. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
17. निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता/सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ।
18. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई-68 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्र सं.4/1/2013-परिषद/हि.स.स./345 दिनांक 14.09.2013 के संदर्भ में ।
19. अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र (दिल्ली नगर निगम), 10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 को उनके पत्र सं.74/2013-14/211 दिनांक 16.07.2013 के संदर्भ में ।
20. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली-1 को इस अनुरोध के साथ कि भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कृपया एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए ।
21. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
22. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव ।
23. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रा.प्र.सर्वे.का.) के प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक (कें.सां.का.) के निजी सचिव ।
24. सभी अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक ।
25. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक ।
26. उप महानिदेशक, संगणक केंद्र, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस संकल्प को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए ।



(अरुण कुमार यादव)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-23746725